

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 02 श्रमिक के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 200000/- (दो लाख रूपए) एवं 01 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 230000/- (दो लाख तीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक एवं पिता/पति का नाम	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक./दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का स्थिति, कार्य की प्रकृति
1	स्व० कान्ति पासवान, 40, श्री बालेश्वर पासवान, अनु० जाति	श्रीमती रेखा देवी (पत्नी)	492/24.12.19	ग्रा०-नवटोला ककोड़ा, पो०-बागनगर, था०-महलगाँव, प्र०-जोकीहाट, अररिया	20175877039	SBI, JALALGARH, SBIN0016011	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, रज मिरकी
2	स्व० जगदीश बहरदार, 60, श्री सहतलाल सिंह उर्फ सहतलाल बहरदार, अ० पि० जाति	श्रीमती कुन्ती देवी (पत्नी)	493/24.12.19	ग्रा०+प०+पो०-बरदाहा, था०+प्र०-सिकटी, अररिया	1006971010000249	UBGB BARDAHA, CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, मछली पालने/मारने/बेचने कार्य में मजदूर
3	स्व० डोमी भगत, 25, श्री बाबूचन्द भगत, अ० पि० जाति	श्रीमती नेहा देवी (पत्नी)	494/24.12.19	ग्रा०-खास हलहलिया, पं०-हलहलिया, पो०-खवासपुर, था०-सिमरहा, प्र०-फारबिसगंज, अररिया	16613211078883	UCO BANK, MANIKPUR, UCBA0001661	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेती/मजदूर

कुल :- ₹ 230000/-

(दो लाख तीस हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-05/2020 के पृष्ठ-03/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(सुधीर कुमार)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-05/2020

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


ह०/-


(सुधीर कुमार)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-05/2020-64

पटना, दिनांक :- 9-03-2020

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 230000/- (दो लाख तीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा
संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी,
अररिया को सूचनार्थ प्रेषित/आईटी मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(सुधीर कुमार)
कार्यकारी निदेशक।